

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक: 4082/3450/2018/19/यो
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/09/2018

✓ प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।

विषय: लोक निर्माण विभाग (भ/स) के अधीन विभिन्न विभागों के मूल प्रकृति के नवीन भवन कार्य-भवन निर्माण कार्यों हेतु गठित परियोजनाओं क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग से कराये जाने बाबत।

संदर्भ: प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. की टीप क्रमांक 740 दिनांक 18.07.2018

राज्य शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. के अन्तर्गत आने वाले भवनों की लागत सीमा रु. 25.00 लाख समाप्त करते हुए भवन निर्माण से सम्बंधित सभी कार्य पी.आई.यू. से ही संपादित कराये जाने का निर्णय लिया गया है एवं भवनों का संधारण एवं संधारण के अंतर्गत विद्यमान भवनों में एडिशन, अल्टरेशन का कार्य पूर्व की भांति लोक निर्माण विभाग (भ/प) द्वारा किया जावेगा।

EE Build

24/09/18

सहपत्र:- 0

004829

25/09/18

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

12.09.18

(आर. के. मेहरा)

सचिव

म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग
भोपाल, दिनांक 14/09/2018

पू0क्रमांक 4082/3450/2018/19/यो
प्रतिलिपि:-

- 1- परियोजना संचालक, पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
- 3- समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, पी.आई.यू. लो.नि.वि. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र:- 0

12.09.18

सचिव

म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

R.R. 1296
25/9/18

Shri Anand ji

25/9/18